1585
3/06/2022

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

संकल्प

मरङ गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, 2020 (संशोधित, 2022)

विषयः— मरङ गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, 2020 संशोधित करते हुए झारखण्ड मरङ गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, 2020 यथा संशोधित, 2022 तथा The Foreign, Commonwealth and Development Office ("FCDO") - British High Commission, New Delhi के साथ Chevening Scholarship, UK हेतु द्विपक्षीय MoU के संबंध में।

संकल्प संख्या—2724, दिनांक—28 दिसम्बर, 2020 के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के अधिकतम 10 छात्र/छात्राओं को चयनित कर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एण्ड नॉर्थेन आयरलैण्ड के चयनित संस्थानों/विश्वविद्यालयों के चयनित पाठ्यक्रम में अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। अन्य वर्गों यथा अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र—छात्राओं को इससे लाभान्वित किया जाएगा।

साथ ही, British High Commission द्वारा अधिकतम 05 (पाँच) छात्र/छात्राओं हेतु MoU का प्रारूप संलग्न करते हुए वैश्विक छात्रवृत्ति योजना Chevening Scholarship के साथ मरङ गोमके जयपाल सिंह मुण्डा छात्रवृत्ति योजना के साथ साझेदारी करते हुए Chevening Marang Gomke Jaipal Singh Munda Scholarship शुरू किया जाएगा।

1. Chevening Scholarship, UK सरकार की वैश्विक छात्रवृत्ति योजना है जो The Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) UK सरकार द्वारा वित्त पोषित है। वित्तीय नियमावली के नियम—235 को क्षांत करते हुए नियम—245 के तहत् मनोनयन के आधार पर The Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO), British High Commission एवं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड के बीच जो MoU किया जायेगा, उसके मुख्य बिन्दु जो निम्नवत् हैं, को संकल्प संख्या—2724, दिनांक—28.12.2020 में संशोधन करते हुए प्रत्याख्यापित किया जाता है।
2. Chevening Marang Gomke Jaipal Singh Munda Scholarship शैक्षणिक वर्ष 2022—23 में शुरू होगी और तीन वर्ष (वर्ष 2022—23, 2023—24 एवं 2024—25) की अवधि के लिए प्रभावी रहेगी। बाद के शैक्षणिक वर्ष 2025—26 में योजना जारी रखने के लिए इस MoU को मार्च, 2025 तक नवीनीकरण किया जा सकता है।
3. Chevening Marang Gomke Jaipal Singh Munda Scholarship के लिए छात्र/छात्राओं को निम्न भुगतान किया जायेगा :—
   (i) शैक्षणिक शिक्षण शुल्क के साथ परीक्षा एवं Thesis शुल्क।
   (ii) एकल छात्र के लिए रहने का खर्च हेतु पर्याप्त मासिक भत्ता।
   (iii) एक भत्ता पैकेज; तथा

03/06/2022

(iv) निवास स्थान से स्वीकृत मार्ग के लिए एक वापसी विमान किराया (इकनोमी क्लास) ताकि आने–जाने की यात्रा को Cover किया जा सके।

4. इस MoU अन्तर्गत प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए Chevening Marang Gomke Jaipal Singh Munda Scholarship योजना हेतु अधिकतम 05 (पाँच) छात्र / छात्राओं का चयन किया जायेगा। इस योजना अन्तर्गत चयनित 05 (पाँच) छात्र / छात्राओं का सम्पूर्ण ट्यूशन फीस झारखण्ड सरकार वहन करेगी जो अधिकतम प्रतिवर्ष £ 94,000 GBP होगा। £ 94,000 GBP के ऊपर आने वाली शेष लागतों का वहन The Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) द्वारा किया जायेगा। इस MOU के तहत सभी भुगतान भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित दिशा निर्देश के आलोक में किया जायेगा।

5. United Kingdom of Great Britain के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में एक वर्षीय मास्टर डिग्री के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।

6. आवेदन के समय www.chevening.org पर प्रभावी Chevening Guidance के अनुसार छात्र / छात्राएँ सूचीबद्ध किये जायेंगे।

7. Chevening Marang Gomke Jaipal Singh Munda Scholarship योजना के संचालन की जिम्मवारी Chevening प्रोग्राम के प्रशासक Secretariat की होगी।

8. Chevening Marang Gomke Jaipal Singh Munda Scholarship अन्तर्गत आवेदन एवं चयन प्रक्रिया :–

(i) छात्रवृत्ति के लिए आवेदन Chevening Online Application system के माध्यम से किया जा सकेगा।

(ii) आवेदन की समय सीमा समाप्त होने के बाद Chevening Secretariat of Association of Commonwealth Universities (**"the Secretariat"**) पात्र आवेदकों की एक सूची तैयार करेगा, जो पात्रता मानदण्डों के अनुसार होगा।

(iii) Chevening Secretariat of Association of Commonwealth Universities (**"the Secretariat"**) द्वारा चयनित योग्य आवेदनों को एक Independent Reading Committee जिसमें एक क्षेत्रीय विशेषज्ञ और एक अकादमिक विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे, को भेजा जायेगा।

(iv) Reading Committee द्वारा सभी पात्र आवेदनों का मूल्यांकन करते हुए अनुशंसित आवेदकों की एक लंबी सूची तैयार किया जायेगा।

(v) अनुशंसित आवेदकों की लंबी सूची के आवेदनों की समीक्षा FCDO पोस्ट द्वारा की जायेगी।

(vi) FCDO पोस्ट उन आवेदकों की छोटी सूची तैयार करेगा जिन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा।

(vii) Secretariat उन सभी असफल आवदकों को लंबी और छोटी सूची के परिणाम के बारे में सूचित करेगा।

(viii) FCDO पोस्ट Online Application system के माध्यम से Secretariat के साथ साक्षात्कार के लिए आवेदकों के विवरण साझा करेंगे।

(ix) Secretariat चयनित आवेदकों को सूचित करेगा कि उन्हें साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया है।

(x) Chevening Scholarship Programme के साथ इस योजना का भी साक्षात्कार साथ–साथ चलेगा।

(xi) MoU में दोनो पक्षों के प्रतिनिधि निर्धारित तिथि या तय की जाने वाली तिथि पर साक्षात्कार पैनल में शामील होंगे। झारखण्ड सरकार एक बाहरी साक्षात्कार पैनलिस्ट को नामित कर सकती है या FCDO Post को स्थगित कर सकती है यदि वे साक्षात्कार पैनल में शामिल होने में असमर्थ हैं।

9. चयन :–

(i) झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग के छात्र / छात्राएँ इस योजना अन्तर्गत आच्छादित होंगे।

03/06/2022

(ii) Chevening Marang Gomke Jaipal Singh Munda Scholarship अन्तर्गत छात्र/छात्राओं का चयन निष्पक्ष एवं न्याय संगत तरीके से करते हुए केवल योग्यता के आधार पर छात्रवृत्ति के लिए Chevening मानदण्डों के अनुरूप होगा।

(iii) FCDO पोस्ट छात्रवृत्ति का प्रस्ताव भेजेगा और Secretariat द्वारा चयनित छात्र/छात्राओं के प्रस्थान से पहले और उनके अध्ययन की अवधि के लिए प्रशासनिक व्यवस्था करेगा।

10. शेष प्रावधान MoU में उल्लेखित कंडिकाओं एवं शर्तों के अनुरूप होगा।

11. संकल्प संख्या–2724, दिनांक–28.12.2020 को संशोधित करते हुए निम्न कंडिकाओं को भी प्रत्याख्यापित किया जाता है:–

विषय:– झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति के अधिकतम 10 (दस), अनुसूचित जाति के अधिकतम 05 (पाँच), अल्पसंख्यक के अधिकतम 03 (तीन) एवं पिछड़ा वर्ग के अधिकतम 07 (सात) प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को चयनित कर प्रत्येक वर्ष विदेश में स्थित अग्रणी विश्वविद्यालयों/संस्थानों के चयनित कोर्स (Course) में उच्च स्तरीय शिक्षा यथा मास्टर्स (Masters)/एम०फिल० (M.Phil) हेतु छात्रवृति सहायता प्रदान करने की स्वीकृति देने के सम्बन्ध में।

(i) राज्य बनने के बाद भी झारखण्डवासियों को अपनी प्रतिभा निखारने के पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाए हैं। इसका मुख्य कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सीमित अवसर का होना है। ऐसे में झारखण्ड के युवाओं को झारखण्ड एवं देश के निर्माण में भूमिका के अवसर प्रदान करने हेतु मरङ गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, 2022 संचालित करने का प्रस्ताव है। इस छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जनजाति के अधिकतम 10 (दस), अनुसूचित जाति के अधिकतम 05 (पाँच), अल्पसंख्यक के अधिकतम 03 (तीन) एवं पिछड़ा वर्ग के अधिकतम 07 (सात) कुल 25 (पच्चीस) छात्र/छात्राओं को चयनित कर विदेश में स्थित अग्रणी विश्वविद्यालयों में चयनित कोर्स में उच्च स्तरीय शिक्षा यथा मास्टर्स (Masters)/एम०फिल० (M.Phil) Full Degree Program ग्रहण करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। इस प्रकार कुल 25 (पच्चीस) छात्र/छात्राओं में से 05 (पाँच) छात्र/छात्राएँ जो Chevening Marang Gomke Jaipal Singh Munda Scholarship योजना अन्तर्गत चयनित होंगे उन छात्र/छात्राओं का सम्पूर्ण ट्यूशन फीस झारखण्ड सरकार वहन करेगी जो अधिकतम प्रतिवर्ष £ 94,000 GBP होगा। चयनित 05 (पाँच) छात्र/छात्राओं का £ 94,000 GBP के ऊपर आने वाली शेष लागतों का वहन The Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) द्वारा किया जायेगा। शेष 20 (बीस) छात्र/छात्राएँ जो Chevening Marang Gomke Jaipal Singh Munda Scholarship योजना अन्तर्गत चयनित नहीं होंगे उन्हें मरङ गोमके जयपाल सिंह मुण्डा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।

(ii) इस योजना का विस्तार केवल निर्दिष्ट विश्वविद्यालयों एवं विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए चयनित उम्मीदवारों को निर्धारित वित्तीय सहायता प्रदान करने तक सीमित होगा। वर्त्तमान में प्रस्तावित योजना को यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एण्ड नॉर्थेन आयरलैण्ड (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) में अवस्थित Annexure-A अन्तर्गत आने वाले विश्वविद्यालयों/संस्थानों के लिए प्रारम्भ किया जायेगा। भविष्य में अन्य उच्च स्तरीय शिक्षा एवं अन्य देशों के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय/संस्थानों हेतु भी इसे विस्तारित किया जा सकेगा।

(iii) इस योजनान्तर्गत संकल्प संख्या–2724, दिनांक–28.12.2020 की कंडिका–5 में उल्लेखित कुल 22 विषयों के अलावा निम्नलिखित विषय क्षेत्रों और विषयों में आने वाले पाठ्यक्रम के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी :–

(a) Engineering and Technology

03/06/2022

(b) Data Sciences and Machine Learning
(c) Management Studies
(d) Finance
(e) Water Studies
(f) Pharmacology and Pharmacy Studies
(g) Energy Studies
(h) Conflict Studies
(i) Migration and Refugee Studies

(iv) इस योजना अन्तर्गत विषय के चयन के संबंध में आदिवासी कल्याण आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति सक्षम प्राधिकार होगें।

(v) **छात्रवृत्ति के लिए पात्रता:–**

जाति का अनुमान्य साक्ष्य:– आवेदन के साथ आवेदक द्वारा आवेदक के आवास क्षेत्र के संबंधित सक्षम पदाधिकारी निर्गत जाति प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। अल्पसंख्यक समुदाय हेतु अल्पसंख्यक से संबंधित स्व–घोषणा पत्र आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

(vi) **छात्रवृत्ति का मूल्य:–**

वार्षिक अनुरक्षण भत्ता (Annual Maintenance Allowance)– इस योजना के अन्तर्गत आने वाले सभी स्तरों के पाठ्यक्रमों के लिए United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland में छात्र/छात्राओं के लिए वार्षिक अनुरक्षण भत्ता योजना के अन्तर्गत आने वाले सभी स्तरों के पाठ्यक्रमों के लिए लंदन में स्थित विश्वविद्यालयों/संस्थानों हेतु पाउंड स्टर्लिंग 17,000/– (केवल सत्रह हजार पाउंड स्टर्लिंग) (Standard Pound Rate) तथा लंदन को छोड़कर United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland के अन्य जगहों में स्थित विश्वविद्यालयों/संस्थानों हेतु 13,000/– (केवल तेरह हजार पाउंड स्टर्लिंग) (Standard Pound Rate) देय होगा।

(vii) **छात्रवृत्ति की अवधि:**– इस योजना अन्तर्गत पाठ्यक्रम/शोध के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम मास्टर्स (Masters)/एम०फिल० (M.Phil) – 1/2 वर्ष (एक/दो वर्ष) एवं कोई भी एक वर्षीय मास्टर्स (Taught/Research) और एक या दो वर्षीय एम०फिल० चयनित संस्थान एवं चयनित कोर्स के अनुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

12. संकल्प संख्या–2724, दिनांक–28.12.2020 को संशोधित करते हुए निम्न प्रावधान भी किये जाते है:–

(i) छात्राओं के लिए 30 प्रतिशत सीट आरक्षित रहेगी। छात्राओं की सीट रिक्त रहने की स्थिति में ही छात्रों से सीट को भरा जाएगा।

(ii) पढ़ाई की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से QS Global Ranking, 2022 के शीर्ष 1000 रैंकिंग में ही दाखिला दिया जाएगा।

(iii) छात्र–छात्राओं की अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष होगी।

13. इस योजना पर अनुमानित व्यय प्रति वर्ष रू० 16.00 करोड़ (सोलह करोड़ रु०) है जिसे आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जा सकता है एवं जिसका बजट उपबंध मरङ गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत विकलनीय होगा :–

(i) मांग संख्या–51–अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग), राज्य योजना मुख्य शीर्ष–2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, उप मुख्य शीर्ष–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना एवं 277–शिक्षा, उप शीर्ष–A8–मरङ गोमके जयपाल सिंह मुण्डा पादेशीय छात्रवृत्ति योजना, विस्तृत शीर्ष–06, इकाई–50 के अन्तर्गत–51S222502796A8010650 एवं 51S222502277A8010650

03/06/2022

(ii) मांग संख्या–51–अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग), राज्य योजना मुख्य शीर्ष–2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, उप मुख्य शीर्ष–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–99–मरङ गोमके जयपाल सिंह मुण्डा पादेशीय छात्रवृत्ति योजना, विस्तृत शीर्ष–06, इकाई–50 के अन्तर्गत–51S2225017899010650

(iii) मांग संख्या–51–अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग), राज्य योजना मुख्य शीर्ष–2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण , उप मुख्य शीर्ष–03–पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना एवं 277–शिक्षा, उप शीर्ष–92–मरङ गोमके जयपाल सिंह मुण्डा पादेशीय छात्रवृत्ति योजना, विस्तृत शीर्ष–06, इकाई–50 के अन्तर्गत–51S2225037969201065O एवं 51S2225032779201065O

(iv) मांग संख्या–30–अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग), राज्य योजना मुख्य शीर्ष–4225– अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथ अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण, उप मुख्य शीर्ष–80–अल्पसंख्यक का कल्याण, लघु शीर्ष–796– जनजातीय क्षेत्र उपयोजना एवं 277–शिक्षा, उप शीर्ष–25–मरङ गोमके जयपाल सिंह मुण्डा पादेशीय छात्रवृत्ति योजना, विस्तृत शीर्ष–06, इकाई–50 के अन्तर्गत–30S4225807962501065O एवं 30S4225802772501065O

14. विभागीय संलेख ज्ञापांक–1369, दिनांक–10.05.2022 के क्रम में दिनांक–11.05.2022 को मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद संख्या–12 में इस पर स्वीकृति प्रदान की गई है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

03/06/2022

(कमल किशोर सोन)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः– 03/छात्रवृत्ति(पारदेशीय छात्रवृत्ति)–03/2020 1585 राँची, दिनांकः– 3/06/2022

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा एवं हक०), झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/उप सचिव, मुख्य सचिव का कार्यालय, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड, राँची/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी उप निदेशक कल्याण/सभी परियोजना निदेशक, आई०टी०डी०ए०/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/06/2022

(कमल किशोर सोन)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः– 03/छात्रवृत्ति(पारदेशीय छात्रवृत्ति)–03/2020 1585 राँची, दिनांकः– 3/06/2022

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 300 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

03/06/2022

(कमल किशोर सोन)
सरकार के सचिव।